न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–01/2021 (2021/8) दर्ज दिनांक 04.01.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. ओमप्रकाश पिता विष्णुदत्त ब्राह्मण
2. महेश कुमार आत्मज विष्णुदत्त ब्राह्मण
   सर्व निवासीगंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. भंवरलाल आत्मज नाथुलाल ब्राह्मण निवासी बबराणा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल आत्मज मोजीराम जाट
2. धन्नालाल आत्मज सुखदेव जाट
3. मोड्डु आत्मज नारू जाट
4. गीता पत्नि देवीलाल खटीक
   सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा। ——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्रीमती सज्जन बैरवा

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांकः–19.01.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर कस्बा गंगापुर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या एक व दोतथा कमला, मंजु पुत्री विष्णुदत्त ब्राह्मण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 138रकबा 0.09 हे0, आराजी संख्या 141 रकबा 0.14 हे0, 142 रकबा 0.04 हे0, 143 रकबा 0.26 हे0, 144 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.64 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 429पर दर्ज होकर स्थित हैं। खातेदार कमला व मंजु ने दिनांक 21.06.2008 को हम प्रार्थीगण संख्या एक व दो के पक्ष में उक्त आराजियात में निहित उनके हिस्से का हक त्याग पत्र निष्पादित करवा पंजीबद्ध करवाया है जिससे उन्हें प्रार्थीगण नही बनाया गया है। इसी प्रकार कस्बा गंगापुर तहसीलसहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या एक लगायत तीन, कमला, मंजु पुत्री विष्णुदत्त ब्राह्मण एवं मृतक झमकुबाई पत्नि शंकरलाल ब्राह्मण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 145 रकबा 0.13 हे0 भूमिराजस्व खाता संख्या 428पर दर्ज होकर स्थित हैं।खातेदार झमकुबाई पत्नि शंकरलाल ब्राह्[illegible] हो चुका है तथा खातेदार कमला व संजु ने दिनांक 21.06.2008 को हम [illegible] संख्या एक व दो के पक्ष में उक्त आराजियात में निहित उनके हि[illegible] रजिस्टर्ड निष्पादित करवा पंजीबद्ध करवाया है जिससे कम[illegible] मृतक को पक्षकार[illegible] बनाया गया है। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जि[illegible]की जमाबन्दी सम्वत् [illegible] से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.25 11:57:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं कर कस्बा गंगापुर तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या एक व दो तथा कमला, मंजु पुत्री विष्णुदत्त ब्राह्मण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 138 रकबा 0.09 हे0, आराजी संख्या 141 रकबा 0.14 हे0, 142 रकबा 0.04 हे0, 143 रकबा 0.26 हे0, 144 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.64 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 429 पर दर्ज होकर स्थित हैं।एवं इसी प्रकारकस्बा गंगापुर तहसीलसहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या एक लगायत तीन, कमला, मंजु पुत्री विष्णुदत्त ब्राह्मण एवं मृतक झमकुबाई पत्नि शंकरलाल ब्राह्मण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 145 रकबा 0.13 हे0 भूमिराजस्व खाता संख्या 428 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.25 11:57:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner